



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 श्रावण 1942 (श10)
(सं० पटना 462) पटना, वृहस्पतिवार, 6 अगस्त 2020

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

अधिसूचना

31 जुलाई 2020

सं० एल/एच०जी०-16-03/2018-3899-भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार -(i) यह नियमावली "बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020" कही जायेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 के नियम-4 के उप नियम-(4) (घ) का संशोधन - उक्त नियमावली के नियम-4 के उप नियम-(4) (घ) को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है -

"4(4)(घ)-50 प्रतिशत कोटा के भीतर सर्वप्रथम, उपलब्ध गृह रक्षक खिलाड़ियों (दैनिक कर्तव्य भत्ता

भोगी खिलाड़ी सहित) को One Time Measure के तहत नियुक्त करने के पश्चात् ही शेष उपलब्ध पदों के विरुद्ध नियुक्ति की कार्यवाई की जायेगी।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ईश्वर चन्द्र सिन्हा,
सरकार के विशेष सचिव।

The 31st July 2020

No.L/H.G.-16-03/2018-3899— n exercise of powers conferred under the proviso to the Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Home Guard Service Rules-2005 (As amended from time to time):-

1. Short title, extent and commencement. (1) These rules may be called the Bihar Home Guards Service (Amendment) Rules, 2020.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment in Sub-Rule- 4(d) of Rule-4 of the Bihar Home Guard Service Rules, 2005 - Sub-Rule- 4(d) of Rule-4 of the said Rules shall be substituted by th following-

" 4.(4)(d).- At first, **as one time measure**, appointment on 50% posts, earmarked for Home Guard sportsmen (**Including daily duty allowances paid, sportsman**) shall be done, there after appointment process for remaining posts shall be done."

By the order of Governor of Bihar,
ISHWAR CHANDRA SINHA,
Special Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 462-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>